कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सं0:– 4डी(2)/फार्म0–2001/2016/ लखनऊः दिनांकः 13/04/2016

–: कार्यालय ज्ञाप :–

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–20558/2009 उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 एवं अवमाननावाद सं0–347/2010–हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.12, 15.04.2013, 29.04.2013 तथा अवमाननावाद संख्या–115/2014 में पारित आदेश दि0 23.09.2014 के अनुपालन में फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु वर्ष 2001 के फार्मेसी डिप्लोमाधारक 150 अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग दिनांक 21–03–2016 को वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ स्थित सभागार में की गयी थी, जिसके 84 अभ्यर्थी उपस्थित हुये थे तथा 07 प्रतीक्षारत अभ्यर्थी कुल 91 अभ्यर्थियों का चयन हेतु निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि संलग्न सूची में उल्लिखित फार्मासिस्टों के नियुक्ति पत्र संलग्न प्रारूप पर नियमानुसार आवंटित जनपद में सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0 द्वारा निर्गत किये जाने है। उल्लेखनीय है कि फार्मासिस्ट सेवानियमावली 1980 के अनुसार उनके नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है। अस्तु नियुक्ति आदेश निर्गत करने से पूर्व चयन सूची में उल्लिखित फार्मासिस्टों के मूल समस्त अभिलेखों का मिलान भली–भांति करते हुये नियमानुसार नियुक्ति पत्र प्रारूप पर तत्काल निर्गत कर 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा तथा कृत कार्यवाही से महानिदेशालय को अवगत करायें। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में सूची संलग्न है। उक्त आदेश महानिदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः– जनपद हेतु चयनित 91 अभ्यर्थियों की सूची।

(ए0सी0त्रिपाठी)
निदेशक(पैरामेडिकल)

संख्याः– 4डी(2)/फार्म0–2001/2016/1844–50 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–7
2. निदेशक (टेक्नीकल), एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस पत्र एवं संलग्न चयन सूची **(सी0डी0 सहित)** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. ~~4.~~ समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. ~~5.~~ समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. ~~6.~~ समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, (जिला पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. ~~7.~~ समस्त कोषाधिकारी।
7. ~~8.~~ गार्ड फाइल।

(ए0सी0त्रिपाठी)
निदेशक(पैरामेडिकल)